IV 150

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Signature राजनाथ सिंह
ACC Name-Rajnath Singh Code-UP14259404
ACC Address-Shivpur Sadar, Jaunpur
Mobile No.- 9839887020 License No. 52
Tehsil & District- Sadar, Jaunpur

Certificate No.	:	IN-UP22631728627179T
Certificate Issued Date	:	03-Aug-2021 11:19 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14259404/ JAUNPUR SADAR/ UP-JNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14259404335823239706537
Purchased by	:	SHIVENDRA PRATAP SINGH SO LATE ASHOK KUMAR SINGH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	LATE UMANATH SINGH SAIKSHIK AVAM DHARMARTH TRUST
Second Party	:	SHIVENDRA PRATAP SINGH SO LATE ASHOK KUMAR SINGH
Stamp Duty Paid By	:	SHIVENDRA PRATAP SINGH SO LATE ASHOK KUMAR SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,200 (One Thousand Two Hundred only)

Sub Registrar Sadar, Jaunpur — E Stamp Locked

Please write or type below this line

शिवेन्द्र प्रताप सिंह

QT 0002033162

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ATTESTED

न्यास पत्र (शुद्धि पत्र)

1– न्यास का नाम "स्व0 उमानाथ सिंह शैक्षिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट

2– न्यास का पता ग्राम व पोस्ट– महरूपुर सदर, जौनपुर (उ0 प्र0)

3– न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण (उत्तर प्रदेश) भारत

4– न्यास के उद्देश्य

क– शिक्षा के प्रसार प्रचार हेतु प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालयों,शिक्षण संस्थाओं की व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना

ख– छात्र एवं छात्राओं को अखिल भारतीय सेवाओं, प्रदेश सेवाओं एवं अन्य प्रकार की सेवाओं हेतु होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण एवं शिक्षण की व्यवस्था

ग– महिलाओं की व बच्चों की शिक्षा की विशेष रूप से व्यवस्था करना।

घ– भारत सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलाये जा रहे थ्कसी कार्यक्रम में सहयोग देना तथा उसे कार्यान्वित कराना एवं महिंलाओं एवं बच्चों के उत्थान व विकास के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए चलाये गये कार्यक्रमों में सहयोग देना एवं सरकार के निर्देश पर उपरोक्त कार्यक्रमों का संचालन करना। न्यास का लाभ मानवता की सेवा के उद्देश्य से जनसाधारण हेतु उपलब्ध होगा। एवं न्यासीगण लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।

5– न्यास के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम पते जिनको न्यास के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार न्यास का कार्यभार सौपा गयाः–

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता
1	श्री अशोक कुमार सिंह (मृतक)	रामसूरत सिंह	अध्यक्ष	महरूपुर जौनपुर
2	श्रीमती निर्मला देवी (मृतक)	अशोक कुमार सिंह	उपाध्यक्ष	महरूपुर जौनपुर
3	राघवेन्द्र प्रताप सिंह	अशोक कुमार सिंह	अध्यक्ष	महरूपुर जौनपुर
4	देवेन्द्र प्रताप सिंह	अशोक कुमार सिंह	उपाध्यक्ष	महरूपुर जौनपुर
5	शिवेन्द्र प्रताप सिंह	अशोक कुमार सिंह	प्रबन्धक	महरूपुर जौनपुर
6	अवन्तिका सिंह	शिवेन्द्र प्रताप सिंह	सह प्रबन्धक	महरूपुर जौनपुर
7	धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	अशोक कुमार सिंह	सदस्य	महरूपुर जौनपुर
8	अरूषि सिंह	शिवेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य	महरूपुर जौनपुर
9	शिवेश प्रताप सिंह	शिवेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य	महरूपुर जौनपुर

शिवेन्द्र प्रताप सिंह

न्यासीगण 25000/– नगद पर न्यास की स्थापना कर रहा है, भविष्य में दान, क्रय तथा पट्टा आदि से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी वह भी न्यास की सम्पत्ति होगी। इस प्रकार न्यास की वर्तमान में चल सम्पत्ति का कुल मू0 25000/ (पच्चीस हजार रूपया होता है। जिस पर स्टाम्प शुल्क) ....रूपया अदा किया जाता है एवं सेटलर न्यासीगण परोपकारी भावना से उपरोक्त धनराशि का एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास बनाने का इच्छुक है एवं न्यासीगण इस न्यास के प्रथम न्यासीगण बनने को सहमति हो गये है जैसा कि इस न्यास लेखपत्र के निष्पादन हेतु उनके पक्षकार बनने से स्पष्ट है।

7– न्यास कोष का उपयोग निम्न उद्देश्य हेतु किया जायेगा।

क– बेरोजगार निर्धन एवं जरूरतमन्द छात्र/छात्राओं को शैक्षिक प्रशिक्षण एवं सहायता देना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना तथा प्रबन्ध संस्थान खोलना एवं प्रबन्ध करना

ख– विधि महाविद्यालय खोलना तथा उसका प्रबन्ध करना एवं इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलना एवं प्रबन्ध करना।

ग– मानक के अनुरूप चिकित्सालय का निर्माण तथा उन्हें संचालित करना।

घ– कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय महिला महाविद्यालय, पशु चिकित्सालय वाणिज्य एवं संस्कृत महाविद्यालय एवं संगीत नाट्य महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालित करना।

ड.– वाचनालय कक्ष, पुस्तक संग्रहालय शैक्षिक या सांस्कृति शिविर का प्रबन्ध एवं ऐसे शिविरों को समर्थन देना।

च– छात्रावासों, प्रेक्षगृहों जिनेजियम, आडीटोरियम, स्टेडियम व म्यूजियम का निर्माण करना एवं प्रबन्ध करना।

छ– किसी भी जाति के वर्ग या लिंग का भेद किये बिना निर्धन जरूरतमन्द एवं योग्य छात्र/छात्राओं को उनकी फीस में छूट, छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार देकर सहायता करना एवं शैक्षिक उद्देश्य से स्थापित संस्थानों को नकद अनुदान देना या अन्य धर्मार्थ कार्य हेतु किसी रूप में दान देना।

ज– न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भूमि अधिग्रहीत करना। इमारत बनवाना तथा कोष एकत्रित करना।

झ– विकलांग बच्चों हेतु अन्ध विद्यालय मूकवधिर विद्यालय तथा विकलांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना।

ट– चिकित्सकीय सहायता में ऐसे सभी कार्य जिससे निर्धनों की सहायता होती रहे करना।

ठ– बाढ़ ग्रस्त, प्राकृतिक आपदा, निर्धन विधवाओं , बेरोजगार व्यक्तियों के लिए राहत पहुँचाना।

विरेन्द्र प्रताप सिंह

आवेदन सं०: 202100984007959

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 150	वर्ष: 2021

प्रतिफल- 25000 स्टाम्प शुल्क- 1200 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह ,
पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: महरुपुर जफराबाद सदर जौनपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 03/08/2021 एवं 11:39:32 AM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार सिंह
उप निबंधक :सदर
जौनपुर
03/08/2021

बृज बिहारी सिंह
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

8– न्यास की सदस्यता निम्नवत होगी:–

क– सदस्य–वे सदस्य जो संस्था को 10001/ रूपया नकद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देंगे वे संस्था के 01 वर्ष के लिए सदस्य माने जायेंगे।

ब– संरक्षक सदस्य– वे समाज के सम्मानित वयक्ति जो संस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए तन,मन,धन से पूर्णरूपेण सहयोग प्रदान करेंगे वे संस्था के प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से संरक्षक सदस्य 01 वर्ष के लिए मनोनीत कर लिये जायेंगे।

9– <u>सदस्यता की समाप्ति</u>–

1– किसी सदस्य की मृत्यु होने पर।

2– किसी सदस्य के पागल या दिवालिया होने पर।

3– किसी सदस्य के स्वयं त्यागपत्र देने पर ।

4– किसी सदस्य के संस्था के विरूद्ध हानिकारक कार्य करने पर।

5– किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

6– किसी सदस्य के निर्धारित सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।

10– <u>संस्था के अंग</u>

संस्था के दो अंग होगें:–

अ– साधारण सभा

ब– प्रबन्धकारिणी समिति।

11– <u>साधारण सभा</u>

अ– <u>गठनः–</u> संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

ब– <u>बैठकेः–</u> साधरण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय महामंत्री द्वारा अध्यक्ष की राय से बुलाई जा सकती है। सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 10 दिन पूर्व लिखित रूप से सदस्यों को दी जायेगी। ट्रस्ट के सभी प्रकार के सभी सदस्यों के कम से कम 1/3 उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

स– वार्षिक अधिवेशनः– संस्था का वार्षिक अधिवेशन 26 जनवरी को हर वर्ष हुआ करेगा।

द– <u>साधारण सभा का अधिकार एवं कर्तव्यः</u>

1– संस्था के गत वर्ष के बजट एवं कार्यकलापों आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिए स्वीकृत प्रदान करना।

2– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव नियमानुसार कराना।

3– संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृत प्रदान करना।

4– प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत प्रदान करना।

शिवेन्द्र प्रताप सिंह

एतद्द्वारा ... 12–

आवेदन सं०: 202100984007959

बही स०: 4	**रजिस्ट्रेशन स०: 150**	**वर्ष: 2021**

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह

निवासी: महरुपुर जफराबाद सदर जौनपुर

व्यवसाय: व्यापार शिवेन्द्र प्रताप सिंह

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री कृष्णा यादव , पुत्र श्री पारसनाथ यादव

निवासी: मिसिरपुर जफराबाद सदर जौनपुर

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2 कृष्णा यादव

श्री आद्या प्रसाद सिंह , पुत्र श्री श्याम नरायण सिंह

निवासी: महरुपुर जफराबाद सदर जौनपुर

व्यवसाय: व्यापार आद्याप्रसादसिंह

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

सन्तोष कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
जौनपुर

बृज बिहारी सिंह
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

12– एतद्द्वारा स्थापित न्यास पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 (जी) या उसमें समय–समय पर किया गया संशोधन पुर्नअधिनियम प्रभावी होगा जिसके द्वारा दान दाताओं को आयकर से अलग रखा जायेगा या छूट मिलेगी।

13– किसी वर्ष या वर्षों में आय का यदि कोई उपयोग न किया गया भाग बचता है तो उसे निवेश कर दिया जावेगा और न्यासीगण को उसे उसी तरीके पर एवं उसी सीमा तक खर्च करने व उपयोग करने का अधिकार होगा।

14– न्यास की गतिविधियों एवं उद्देश्य की लक्ष्य की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करने की दृष्टिकोण से न्यास निम्नलिखित कर सकता हैं:–

अ– अनुदान,दान,उपहार,धन की वसीयत तथा सभी प्रकार के चल अचल सम्पत्ति को बिना किसी शर्त जो की न्यास के उद्देश्यों के विपरीत न हो, माँगना , प्राप्त करना या स्वीकार करना।

ब– न्यास से सम्बन्धित या उसके नियंत्रण की किसी सम्पत्ति को बेचना, देना, आदान प्रदान करना, बंधक रखना, चार्ज करना, पट्टे पर देना, जमानत को बदलना या अन्य किसी प्रकार से डील करना।

स– समय–समय पर बैंक वित्तीय संस्थानों आदि से न्यास के किसी उद्देश्य हेतु सेक्योरिटी या उसके बिना न्यास के वर्तमान या भविष्य के असेस्ट, विल्डिंग, मशीनें, भूमि या सामानों के बंधक या चार्ज क्रियेट करना या हाइपोथियेट करके या इस सबके बिना धन इकट्ठा करना या ऋण लेना तथा ऋणदाताओं को विक्रय का अधिकार या अन्य अधिकार देना।

द– न्यास कोष या उसके किसी भाग को न्यास बनाने में या उससे संबंधित प्रबन्धन व प्रशासन में होने वाली खर्चो को देना जिंसमें सभी प्रकार के किराये, कर तथा कर्मचारियों के वेतन, इंजीनियरों का भुगतान तथा तकनीकी प्रोफेसरों का भुगतान या कम्पनियों का भुगतान करना।

य– शिक्षकों तथा अन्य की सेवाओं को नकद पारिश्रमिक या साभार प्राप्त करना।

र– उपरोक्त उद्देश्य हेतु ऐसे लेखपत्र पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना जैसा की आवश्यक हो।

15– ऐसे किसी न्यास समिति, संस्थान, संस्था के साथ मिश्रित हो जाना जिसका लक्ष्य पूर्णतः या अंशतः उपरोक्त न्यास के लक्ष्य के समान हो।

16– श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह न्यासी को न्यास के नाम से बैंक में खाता खोलने, देख–रेख करने, संचालित करने का अधिकार होगा उसके किसी भाग या आय को फिक्सड् डिपाजिट करने का निर्णय लेने का अधिकार होगा यदि किन्हीं परिस्थितियों में उपरोक्त न्यासी उपलब्ध नहीं है तो उक्त खाते का संचालन उक्त अवधि में न्यासी श्रीमती अवन्तिका सिंह द्वारा संचालि किया जा सकता है।

17– न्यास कोष से सम्बन्ध या अधिग्रहीत किसी अचल सम्पत्ति को गिराने पुनर्निर्माण करने, सुधारने, विकसित या मरम्मत करने जैसा न्यासीगण उचित समझे, करने का अधिकार होगा।

शिवेन्द्र प्रताप सिंह

18– न्यासीगण या किसी न्यासी को न्यास की सम्पत्तियों का बीमा कराने का अधिकार होगा। किन्तु किसी न्यासी पर किसी सम्पत्ति को जो कि बीमा कराने से छूट गयी है को नुकसान पहुचने पर किसी प्रकार की उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी।

19– न्यासीगण समय–समय पर उन नियमों व शर्तो पर जैसा की उन्हें समीचीन लगता हो एक या अधिक सचिवों, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों, लिपिकों तथा दूसरे कर्मचारियों व नौकरों को नियुक्त करके उनका पारिश्रमिक तय कर सकते हैं।

20– कोई भी न्यासी कभी भी किसी भी पारिश्रमिक वेतन या लाभ का अधिकारी नहीं होगा।

21– श्री अशोक कुमार सिंह (मृतक) , श्रीमती निर्मला देवी,(मृतक) श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती अवन्तिका सिंह, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, देवेन्द्र प्रताप सिंह, धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, अरूषि सिंह, शिवेश प्रताप सिंह अपने जीवनकाल तक स्थायी न्यासी होगें, उपरोक्त स्थायी न्यासी में से किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में जो न्यासी स्थायी बचेंगे वे बपने विवेक से अपने परिवार के ही किसी सदस्य को स्थायी न्यासी का चयन करेंगे।

22– न्यासी अध्यक्ष न्यास की मीटिंग का सभापतित्व करेंगे और यदि किसी मीटिंग में उपरोक्त स्थायी न्यासी उपस्थित नहीं हैं तो उस विशेष मीटिंग के लिए अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार उपस्थित न्यासीगण को होगा।

23– (अ) इस न्यास का प्रबन्धक इस न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं का प्रबन्धक स्वयं होगा। न्यास प्रबन्धक की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र या पुत्री में से कोई एक इस न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं का प्रबन्धक स्वयं होगा।

(ब) न्यास प्रबन्धक के पुत्र या पुत्री के नाबालिग रहने पर इस न्यास के स्थायी न्यासी बहुमत के आधार पर उनके बालिग होने तक स्थायी न्यासी में से किसी एक को न्यास का प्रबन्धक नियुक्त किया जायेगा जो इस न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं का प्रबन्धक स्वयं होगा।

24– न्यासीगण की प्रत्येक मीटिंग की कार्यवाही "सारांश पुस्तिका" में किया जायेगा और उस मीटिंग या अनुगामी मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

25– न्यासीगण की न्यूनतम संख्या चार होगी। स्थायी न्यासीगण को कुछ समय के लिए न्यास हेतु अतिरिक्त न्यासीगण की नियुक्ति एक बार में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु जैसा की वे आवश्यक मानते हो करने का अधिकार होगा। किन्तु एक समय पर न्यासीगण की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी। किसी न्यासी की मृत्यु हो जाने या त्यागपत्र देने से स्थायी न्यासीगण को उनके स्थान पर नये न्यासीगण की नियुक्ति का अधिकार होगा।

26– न्यासीगण के मत में भिन्नता होने पर न्यासीगण के बहुमत के विचार द्वारा निपटाया जायेगा। प्रबन्धक न्यासी के मत युक्त न्यासीगण के बहुमत का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा।

शिवेन्द्र प्रताप सिंह

27— प्रबन्धक न्यासी , न्यासीगण में से किसी एक को न्यायालय ट्रिब्यूनल, प्राधिकारी या निकाय के समक्ष चल रही कार्यवाही में न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त कर सकते है। अन्यथा इसको स्वयं न्यासी प्रबन्धक कर सकता है।

28— इस न्यास से संबंधित सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र जौनपुर,उ0 प्र0 होगा।

29— न्यासीगण न्यास के एकाउण्ट का आडिट करायेंगे तथा भारतीय न्यास अधिनियम या अन्य लागू होने वाले अधिनियमों या उसके संशोधनों का पालन करेंगे।

30— इस न्यास विलेख को शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह सा0 पा0 महरूपुर तहसील सदर जौनपुर अपने लेख व हस्ताक्षर द्वारा पंजीकृत करायेंगे।

31— न्यास के समस्य सदस्यों न्यासीगण से न्यास के विषय में सहमति ली गयी है और न्यासी गण के द्वारा मुझे (शिवेन्द्र प्रताप सिंह) को इस निमित्त न्यास प्रलेख पंजीकृत कराने का अधिकार दिया गया हैं

मसविदाकर्ता- हरिप्रसादसिंह व० न० सदर जौनपुर दि०-३-८-२०२१ई०

मसविदा लेखक का नाम हरि प्रसाद सिंह
अनुज्ञप्ति संख्या 28J दि० 31-3-20..
शुल्क विधिमान्य ली गई फीस ....
मसविदा लेखक का हस्ताक्षर हरिप्रसादसिंह

शिवेन्द्र प्रताप सिंह

साक्षी

कृष्णा यादव S/o स्व. पारसनाथ यादव
ग्रा. मिसिरपुर पो. महरूपुर
जि. जौनपुर

साक्षी आद्याप्रसाद सिंह
पुत्र श्यामनारायन सिंह
ग्रा० पो० - महरूपुर
जि० जौनपुर

आवेदन सं०: 202100984007959

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 171 के पृष्ठ 29 से 44 तक क्रमांक 150 पर दिनाँक 03/08/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
जौनपुर
03/08/2021

प्रिंट करें